राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 221/2020

हमीर सिंह पुत्र प्रभु सिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 04, नंगली सेलदी सिह तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज. हाल निवास एस–49, खातीपुरा रोड़, लेबर कोर्ट के पास, जयपुर शहर, जयपुर (राज.)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय **दिनांक 30–03–2021**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 226 में प्रार्थी का नाम हमरे सिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर हमीर सिंह पुत्र प्रभु सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अंनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 226 ग्राम श्यामपुरा पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 226 में प्रार्थी का नाम हमरे सिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर हमीर सिंह पुत्र प्रभु सिंह दुरूस्तं किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम श्यामपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 226 में प्रार्थी का नाम हमरे सिंह पुत्र प्रभूसिंह के स्थान पर हमीर सिंह पुत्र प्रभु सिंह दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30–03–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2021.04.30 16:18:26 IST
Reason: SelfAttested

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)